



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
संस्कृति - सृष्टि - विकास
Lead me from Darkness to Light

आदेश क्रमांक: **18/5-2020 PS(3)**

दिनांक, पंचकूला **02-06-2020**

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **D.A.V. Police Public School, Police Lines, Opp. Sector-5, Kurukshetra** को कक्षा **1** से **10** तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दी जाती है कि यह सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यालय का स्तर बढ़ाने हेतु मान्यता के लिए अलग से आवेदन किया जायेगा। विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक **23/159-2000 V-I(2)** दिनांक **04.10.2000** में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा।

अमनीत पी० कुमार, आई०ए०एस०
महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक पंचकूला **03-6-2020**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

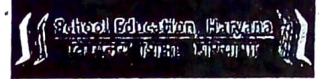
1. प्रबन्धक समिति, **Dayanand Anglo Vedic College Trust & Management Society, New Delhi.**
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, **Kurukshetra**
- ✓ 5. Principal, **D.A.V. Police Public School, Police Lines, Opp. Sector-5, Kurukshetra.**
6. आई०टी० सैल (H.Q.)
7. ऑफिस रिकार्ड।

अधीक्षक पी०एस०
कृते: महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष: 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी
कुरुक्षेत्र।यादी क्रमांक 18/6-2016 पी0एस0 (2)
दिनांक, पंचकुला :-

विषय:-

पुलिस विद्या मंदिर, जिला कुरुक्षेत्र का नाम बदलकर डी0ए0वी0 पुलिस पब्लिक स्कूल,
जिला कुरुक्षेत्र रखने बारे।

-0-

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक जी0- /2016/11216 दिनांक 15-02-2016 के
सन्दर्भ में।

विषयांकित मामले में आप द्वारा भेजी गई निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करते हुए पुलिस विद्या मंदिर, जिला कुरुक्षेत्र का नाम बदलकर डी0ए0वी0 पुलिस पब्लिक स्कूल, जिला कुरुक्षेत्र करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अन्य शर्तें जैसे कि नियम 2003 तथा संशोधित नियम 2007, 2009 व आर0टी0ई0 नियम 2011 में समय-समय पर विभाग द्वारा जारी हिदायतों का पालन करना होगा। यह आदेश स्कूल का स्थान बदलने के लिए मान्य नहीं होगा तथा संस्था द्वारा पुराने नाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

-8/6/16
अधीक्षक पी0एस0कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

पृष्ठांकन-क्रमांक -सम-

दिनांक, पंचकुला:- 28-3-2016

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड शिक्षा केन्द्र-2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार दिल्ली।
4. प्राचार्य, पुलिस विद्या मंदिर, जिला कुरुक्षेत्र (पुराना नाम)
5. प्राचार्य, डी0ए0वी0 पुलिस पब्लिक स्कूल, जिला कुरुक्षेत्र। (नया नाम)

R. G. Singh
28/3/16

अधीक्षक पी0एस0

कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

कार्यालय निदेशांक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़ ।
आदेश क्रमांक: 23/159-2000 वि० I (2) दिनांक चण्डीगढ़ 4.10.2000

पुलिस बिच्चा मन्दिर पुलिस लाइन, कुरुक्षेत्र को दसवीं स्तर तक

की स्थाई मान्यता दिनांक 1.4.2000 से निम्न बातों पर प्रदान की जाती है :-

1. विद्यालय के प्रमुख स्कूल को अपने ही ताधनों से चलायेंगे और ग्रान्ट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे ।
2. विद्यालय विद्यालय द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा ।
3. विद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड की धारा 159 तथा 214 से 239 तक की सभी बातों की पूर्ण रूप से पालना करेगा ।
4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की धारा-4 की सभी बातों को पूर्ण करेगा तथा इसके जो नियम होंगे उनकी विद्यालय पालना करेगा ।
5. अध्यापकों को वेतन क्लास पैक द्वारा दिया जाये ।
6. निष्पक्षता में आरक्षण नीति का ध्यान रखेगा ।

राम गोपाल नागपाल
संयुक्त निदेशांक विद्यालय
कार्यालय निदेशांक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

प्रकाशन क्रमांक सम दिनांक: 5.10.2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित का सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र को उनके पत्र क्रमांक जी-3/2000/879 दिनांक 4.9.2000 के सन्दर्भ में ।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
3. अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा/आर्कडा स्थानीय ।
4. मुख्याध्यापक, पुलिस बिच्चा मन्दिर पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र

(Handwritten signature)

अधीक्षक विद्यालय-1 5/10/2000
द्वारे निदेशांक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।
(Handwritten signature)